

(लोक सभा द्वारा 09.08.2018 के पारित रूप में)

**2018 का विधेयक संख्यांक 143-सी**

[दि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

## **केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन)**

### **विधेयक, 2018**

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

का और संशोधन

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

5 (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

2017 का 12

(क) खंड (4) में,--

(i) "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

5

(ii) "अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और प्राधिकारी" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (17) में, उपखंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

10

"(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को उपलब्ध कराई गई सेवाएं या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं ; और";

(ग) खंड (18) का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड (35) में, "खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा ;

15

(ङ) खंड (69) में, उपखंड (च) में "अनुच्छेद 371" शब्द और अंक के पश्चात् "और अनुच्छेद 371ज" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) खंड (102) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

20

"स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "सेवा" पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है ;" ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से,--

(क) उपधारा (1) में,--

25

(i) खंड (ख) में, "चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं" शब्दों के पश्चात्, "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा ;

(ii) खंड (ग) में, "क्रियाकलाप" शब्द के पश्चात्, "और" शब्द का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा ;

30

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा ;;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी

और सदैव अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

“(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई पूर्ति हैं, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माना जाएगा।”;

5

(ग) उपधारा (3) में, “उपधारा (1) और उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 9 का संशोधन।

10

“(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे मानो वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है।”।

15

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

धारा 10 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,--

20

(i) “उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर” शब्दों के स्थान पर, “धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में, “एक करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ पचास लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

25

(iii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रुपए, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा।”;

30

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है ;”।

35

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

धारा 12 का संशोधन।

धारा 13 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले “उपधारा (2) के” शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

5

“स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है—

(i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचालन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो ;

10

(ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसके मददे किया जाता है ।”;

(ख) खंड (ग) में, “धारा 41” शब्द और अंक के स्थान पर, “धारा 41 या धारा 43क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

15

धारा 17 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “छूट-प्राप्त पूर्ति का मूल्य” पद में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा ।”;

20

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :—

25

(अ) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति ; या

(आ) यात्रियों का परिवहन ; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ;

30

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग—

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :—

(अ) ऐसे जलयान और वायुयान की और पूर्ति ; या

(आ) यात्रियों का परिवहन ; या

35

(इ) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

5

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परंतु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा--

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

10

(ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो--

(I) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है ; या

(II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है ;

15

(ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति--

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

20

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है ;

25

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ; और

(iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुट्टियों पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे :

30

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो ।”।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, “प्रविष्टि 84 के अधीन” शब्दों और अंक के स्थान पर, “प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क के अधीन” शब्द, अंक

35 और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन ।

धारा 22 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में,--

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि सरकार विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परंतुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को दस लाख रुपए से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए ;”;

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य” शब्दों के पश्चात् “और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।”।

धारा 24 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (x) में “वाणिज्य प्रचालक” शब्दों के पश्चात् “जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में,--

(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है ।”;

(ख) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा ।”।

धारा 29 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 29 में,--

(क) पार्श्व शीर्ष में, “रद्दकरण” शब्द के पश्चात् “या निलंबन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में

2005 का 28

20

25

30

35

फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।”;

5 (ग) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।”।

15. मूल अधिनियम की धारा 34 में,--

धारा 34 का संशोधन ।

10 (क) उपधारा (1) में, --

(i) “कोई कर बीजक जारी किया गया है” शब्दों के स्थान पर “एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “जमा पत्र जारी” शब्दों के स्थान पर “किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी” शब्द रखे जाएंगे;

15 (ख) उपधारा (3) में, --

(i) “कोई कर बीजक जारी किया गया है” शब्दों के स्थान पर “एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “नामे नोट” शब्दों के स्थान पर “किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे नोट जारी” शब्द रखे जाएंगे ।

20 16. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 35 का संशोधन ।

25 “परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं।”।

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में,--

धारा 39 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, --

30 (i) “ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “ऐसे कलेंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।”;

5

(ख) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।”;

10

(ग) उपधारा (9) में,--

(i) “उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां आई हैं” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे;

15

(ii) परंतुक में “वित्तीय वर्ष की समाप्ति” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, समाप्ति” शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 43क का अंतःस्थापन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

20

विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया ।

“43क (1) धारा 16 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा ।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

25

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

30

(4) उपधारा (3) के अधीन जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

35

(5) ऐसी जावक पूर्तियों में, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा ।

5 (6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विवरणी अभी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

10 (7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रुपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा ।

(8) ऐसी जावक पूर्तियों, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा,--

15

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

वह होगी, जो विहित की जाए ।

20

19. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, "प्रस्तुत करने के लिए" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 48 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में,--

धारा 49 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में, "धारा 41" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 41 या धारा 43क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

25

(ख) उपधारा (5) में,--

(i) खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;"

30

(ii) खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;"

35

नई धारा 49क  
और 49ख का  
अंतःस्थापन ।

कतिपय शर्तों के  
अधीन रहते हुए  
इनपुट कर प्रत्यय  
का उपयोग।

इनपुट कर प्रत्यय  
के उपयोग का  
आदेश।

धारा 52 का  
संशोधन।

धारा 54 का  
संशोधन।

धारा 79 का  
संशोधन।

धारा 107 का  
संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"49क धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के मद्दे, केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।" 5

49ख इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ड) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों से, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी।" 10

22. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (9) में, "धारा 37" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 37 या धारा 39" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में,-- 15

(क) उपधारा (8) के खंड (क) में "शून्य रेटेड पूर्तियों" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमशः "निर्यात" और "निर्यातों" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (2) में,--

(i) उपखंड (ग) की मद (i) में, "विदेशी मुद्रा में" शब्दों के पश्चात् "या भारतीय रुपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; 20

(ii) उपखंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(ड) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;" 25

24. मूल अधिनियम की धारा 79 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, यथास्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट "विशिष्ट व्यक्ति" सम्मिलित होंगे।" 30

25. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खंड (ख) में, "बराबर राशि का" शब्दों के पश्चात्, ", अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

26. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के खंड (ख) में, "बराबर राशि" शब्दों के पश्चात्, ", अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 112 का संशोधन ।

5 27. मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (6) में, "सात दिन" शब्दों के स्थान पर, "चौदह दिन" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 129 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 140 में, 1 जुलाई, 2017 से,--

धारा 140 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "विवरणी में" शब्दों के पश्चात्, "पात्र शुल्कों का" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और सदैव अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण 1 में,--

10 (i) "उपधारा (3), उपधारा (4)", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4)", शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (iv) का लोप किया जाएगा और उसका सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

15 (ग) स्पष्टीकरण (2) में,--

(i) "उपधारा (5)", शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (5)", शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

20 (ii) खंड (iv) का लोप किया जाएगा और उसका सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(घ) इस प्रकार संशोधित स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:--

25 'स्पष्टीकरण 3—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, "पात्र शुल्क और कर" पद में ऐसा कोई उपकर, जिसे स्पष्टीकरण 1 में या स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसा कोई उपकर भी सम्मिलित नहीं है, जिसका सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहण किया गया है।'

1975 का 51

30 29. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

धारा 143 का संशोधन ।

"परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा ।"

35 30. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 4 में, "कराधेय व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा ।

अनुसूची 1 का संशोधन ।

अनुसूची 2 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के शीर्षक में, "क्रियाकलाप" शब्द के पश्चात् "या संव्यवहार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

अनुसूची 3 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,—

(i) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— 5

"7. गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी स्थान से, गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना पूर्ति ।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति ।

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति ।" 10

(ii) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 15 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**स्पष्टीकरण**—इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "भांडागार में रखे गए माल" पद का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में उसका है ।"।

1962 का 52